दिनांक 25.09.2020 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

9 दुकानदारों पर लगाया 9 हजार जुर्माना, निगम की टीम ने लाकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई

भिलाई नगर। नगर निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देशानुसार आज जोन आयुक्त और राजस्व की टीम ने लाक डाउन का उल्लंघन करने वाले 9 दुकानदारों के खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई की। उनसे कुल 9 हजार जुर्माना वसूला गया। 23 मार्च 2020 के बाद से अब तक 3465 लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई किया जा चुका है! अवैध रूप से मांस विक्रय करने वाले को भरना पड़ा 2000 रुपए का जुर्माना, सामग्री हुई जब्त जोन- 1 आयुक्त सुनील अग्रहरि की टीम ने छूट प्राप्त एक दुकानदार से 500 रुपए जुर्माना वसूला! वार्ड क्रमांक 5 इस्लाम नगर में वहीद कुरैशी द्वारा अवैध रूप से घर पर ग्राहकों को बुलाकर मटन विक्रय किया जा रहा था यहां सहायक राजस्व अधिकारी शरद दुबे ने कार्यवाही करते हुए 2000 रुपए जुर्माना इस व्यक्ति से वसूल किया और मटन को जप्त किया गया तथा समझाइश दी गई कि यदि इसी प्रकार से दोबारा विक्रय करते पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नेहरू नगर भेलवा तालाब, डॉ राजेन्द्र प्रसाद चौक सुपेला , लक्ष्मी मार्केट, आकाश गंगा सब्जी मंडी का निरीक्षण कर मार्निंग वाक करने वाले लोगों का जायजा लिया गया। जोन- 2 आयुक्त पूजा पिल्ले की टीम ने 5 दुकानदारों से 1000 रुपए जुर्माना वसूला जो बिना मास्क पहने छूट प्राप्त दुकान संचालित कर रहे थे और एक व्यवसायी घर से ही सामग्री विक्रय कर रहा था इससे भी जुर्माना वसूला गया। जोन- 3 की आयुक्त प्रीति सिंह की टीम ने ग्राहकों को बिना मास्क पहने दवाइयां देने पर मेडिकल संचालक के खिलाफ 5000 रुपए की चालानी कार्रवाई की। जोन-4 आयुक्त अमिताभ शर्मा की टीम ने खुर्सीपार में एक व्यक्ति से जो बिना मास्क लगाए अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहा था 500 रुपए अर्थदंड वसूलने की कार्रवाई की।